उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-143/2018/2216/92-2-2018-72आरईएस/2000
लखनऊ :: दिनांक:: 16 अक्टूबर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

टेक्निकल आडिट सेल, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा एवं लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत स्वीकृत मुख्य प्राविधिक परीक्षक, प्राविधिक परीक्षक एवं सहायक प्राविधिक परीक्षक के पदों पर भरे जाने हेतु नीति निर्धारण के संबंध में ग्राम्य विकास अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-6805/ 38-9-4एम/89 दिनांक 05-11-1994 के क्रम में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराये जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यो की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु शासन के अधीन तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ में प्रतिनियुक्ति पर अपेक्षित अभियंता प्राप्त न होने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-99/ 2017/592/92-2-17-72आरईएस/2000 दिनांक 21-06-2017 द्वारा विभाग में गुणवत्ता नियंत्रण एवं वर्तमान व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु प्रदेश में स्थापित विभिन्न प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कालेजो व तकनीकी संस्थानों में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के 05 स्नातकोत्तर छात्र/छात्राओं यथा संभव एक प्रोफेसर/लेक्चरर को सम्मिलित करते हुये 05 सदस्यीय एक टीम चिन्हित कर उस संस्थान के निकट चल रहे निर्माण कार्यो का स्थलीय तकनीकी परीक्षण तथा आवश्यकतानुसार प्रयोगशाला परीक्षण करके, कार्य के संबंध में अपनी आख्या देने का दायित्व दिये जाने के साथ-साथ उनके मानदेय/दैनिक भत्तों आदि का निर्धारण किया गया है।

2- शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कार्यालय ज्ञाप सं0-99/2017/592/92-2-17-72आरईएस /2000 दिनांक 21-06-2017 में निहित व्यवस्था यथा- प्रदेश में स्थापित विभिन्न प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कालेजो व तकनीकी संस्थानों में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के 05 स्नातकोत्तर छात्र/छात्राओं की अर्हता में शिथिलता प्रदान करते हुये बी0के0 टेक अंतिम वर्ष के छात्र/छात्राओं को भी सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित शिथिलता के अतिरिक्त शासन का पूर्व कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05-11-1994 में उल्लिखित नियम व शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-143/2018/2216(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
02- प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
03-- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
04- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
05- मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
06- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
07- रजिस्टार, आई0ई0टी0, लखनऊ।
08- रजिस्टार, आई0आई0टी0, कानपुर।
09- रजिस्टार, आई0आई0टी0, रूडकी।
10- रजिस्टार, आई0आई0टी0, बी0एच0यू0-वाराणसी।
11- रजिस्टार, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी आफॅ टेक्नॉलाजी, गोरखपुर।
12- रजिस्टार, के0एन0आई0टी0, सुलतानपुर।
13- रजिस्टार, एम0एन0आई0टी0, इलाहाबाद।
14- रजिस्टार, एच0बी0टी0आई0, कानपुर।
15- रजिस्टार, इंस्टीटयूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालांजी, बुन्देलखण्ड यूनिवर्सिटी, झांसी।
16- रजिस्टार, डॉ0 जाकिर हुसैन कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, ए0एम0यू0 अलीगढ।
17- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।